

प्रारूप-2  
संभागीय, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)  
दूरभाष : 0771-4240278 ई-मेल : jdeduraipur@gmail.com

क्र./विभागीय मान्यता/ब-0025/2021 3473

रायपुर, दिनांक :  
7 DEC 2021

प्रति

प्रबंधक/अध्यक्ष,  
अहिल्या एजुकेशनल सोसायटी पीसिद  
अहिल्या इंटरनेशनल स्कूल लाहोद, जिला बलौदाबाजार-माटापारा (छ.ग.)

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 30.01.2021 के सन्दर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार (छ.ग.) की अनुशंसा उपरांत मैं अहिल्या इंटरनेशनल स्कूल लाहोद, जिला बलौदाबाजार (विद्यालय का नाम एवं पता सहित) को कक्षा नर्सरी से कक्षा दसवीं (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए तारीख 2021-22 हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता/कक्षांनति प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी :-

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता होगी। जिसकी शर्तें निम्नानुसार होंगी-

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्याता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथारिथति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी स्कूल कोई भी कैंपिटेसन फीस का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वही अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -  
(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ;  
(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा ;  
(तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी ;  
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।  
(पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुक्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ;  
(छह) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;

// 2 //

(सात) अध्यापकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा ;  
(आठ) प्राइवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी ;  
(नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो ;  
(दस) विद्यालय प्रबंधन को शासन की ओर से समय-समय पर जारी कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा

- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों एवं सन्नियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-  
स्कूल परिसर का क्षेत्रफल -  
कुल निर्मित क्षेत्रफल -  
खेल मैदान का क्षेत्रफल -  
कक्षाओं के कमरों की संख्या -  
प्रधानाध्यापक कक्षा-सह कार्यालय सह-स्टोर कक्ष -  
लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन - हां है।  
स्वच्छ पेयजल सुविधा - हां है।  
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर - हां है।  
बाधा रहित प्रवेश सुविधा - हां है।  
पठन-पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता - हां है।
- विद्यालय परिसर के भीतर व उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय की लेखाओं की किसी वार्टड एकाउन्टेड द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आर्बिट्रट मान्यता कोड नम्बर 2021-ब-0025 एवं डाईस(DISE) कोड नम्बर 22242008109 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्तें  
1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्य पुस्तकें मान्य होंगी तथा भवन व अन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।  
2. कक्षा आठवीं तक नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।  
3. कक्षा नवमी से बारहवीं के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा हेतु छ.ग.मा.शिक्षा मंडल रायपुर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।  
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

पूछा. क्र./विभागीय मान्यता/ब-0025/2021 3474

प्रतिस्ति:-

- सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2 कम्प्युनिटि सेन्टर प्रीत विहार दिल्ली (भारत)- 110092 को सूचनार्थ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संभागीय संयुक्त संचालक  
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

संभागीय संयुक्त संचालक  
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 7 DEC 2021

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा श्रुलाएँ खोलने की अनुमति एवं नवीनीकरण विभागीय मान्यता हेतु संलग्न प्रपत्रों/अभिलेख की सूची

स.क.	प्रपत्र/अभिलेख	परिशिष्ट क्रमांक
1	समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति( नवीनीकरण सहित)	01
2	समिति का विधान रजिस्ट्रार से प्रमाणित	02
3	शाला का विधान अध्यक्ष / सचिव द्वारा प्रमाणित	03
4	समिति के पदाधिकारियों की रजिस्ट्रार से प्रमाणित सूची	04
5	शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु समिति के प्रस्ताव की प्रति	05
6	प्रारूप (क) में शपथ पत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति )	06
7	प्रारूप (ख) में निर्धारित घोषणा पत्र( छायाप्रति )	07
8	प्रारूप (ग) में निर्धारित प्रतिभूति पत्र छायाप्रति )	08
9	परिशिष्ट (अ) की जानकारी	09
10	शाला में लिये जाने वाले निर्धारित शुल्क का विवरण(अनुमोदित शुल्क)	10
11	जमा की गई अमानत( अक्षय निधि ) राशि का विवरण एवं छायाप्रति	11
12	कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों का पूर्ण विवरण (बायोडाटा) ( प्रशिक्षित शिक्षक अनिवार्य बी.एड/डी.एड)	12
13	शाला में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण	13
14	शाला भवन में कक्षों (कमरों) का वर्गफुटवार विवरण एवं नक्शा प्रमाणित अधिकृत अधिकारी से	14
15	शाला भवन नक्शा/किरायानामा स्टाम्प पेपर पर	15
16	गत 3 वर्ष का आडिट रिपोर्ट /अनुमानित आय-व्यय विवरण	16
17	शाला में उपलब्ध शैक्षणिक उपकरण,संसाधन,पुस्तक,फर्नीचर	17
18	अग्निशमन,टायलेट ,पानी एवं खेलकूद व्यवस्था विवरण	18
19	स्कूल बस/रिक्शा की व्यवस्था हो तो पूर्ण विवरण	19
20	छात्रावास की व्यवस्था हो तो पूर्ण विवरण	20
21	आर.टी.ई. पोर्टल में शाला का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति	21
22	आर.टी.ई. अन्तर्गत प्राप्त राशि का विवरण सत्रवार (नोडल अधिकारी से प्रमाणित) उपयोगिता प्रमाण पत्र	22
23	अशासकीय विद्यालय फीस समिति की जानकारी	23
24	प्राचार्य/प्रधान पाठक का नाम व दूरभाष क्रमांक	24
25	शाला कहां से कहां तक संचालित है।	25
26	शाला प्रारंभ वर्ष ...1917....	26

दिनांक : 12/04/23



अध्यक्ष/सचिव  
समिति का नाम अहिल्या एजुकेशनल सोसायटी  
आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम  
( एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर व मुहर )  
अध्यक्ष / सचिव  
अहिल्या एजुकेशनल सोसायटी, पीसिद  
ग्राम - छरछेद, पो.पीसिद  
तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार, भाटापारा